सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र**
**विशेषांक**

**साधिकार प्रकाशित**

**RAJASTHAN GAZETTE**
**Extraordinary**

**Published by Authority**

चैत्र 17, शुक्रवार, शाके 1944-अप्रेल 8, 2022
*Chaitra 17, Friday , Saka 1944- April 8, 2022*

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

**(निर्वाचन विभाग)**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रेल 7, 2022**

**संख्या एफ.8(2)(2)/निर्वा/2008/1317** :– भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति सम्बन्धी निम्न अधिसूचना सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
**प्रमुख शासन सचिव।**

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 7 अप्रैल 2022

17 चैत्र, 1944 (शक)

**अधिसूचना**

**सं. 434/राज.-वि.स./2018(1)** - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि राजस्थान राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारिओं की नियुक्ति से संबंधित समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 13 सितंबर, 2018 अधिसूचना सं. 434/राज.-वि.स./2018(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएगे।

उक्त अधिसूचना में संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, स्तम्भ संख्या 1 में उल्लिखित विधानसभा क्षेत्रों के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

**तालिका**

| **विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम** | **रिटर्निंग अधिकारी** |
|---|---|
| **1** | **2** |
| 123-लोहावट | उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लोहावट |
| 129-सूरसागर | उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर (उत्तर) |

आदेश से,

**राहुल शर्मा**
**प्रधान सचिव**

**भारत निर्वाचन आयोग**

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 7th April, 2022
17 Chaitra, 1944 (Saka)

## NOTIFICATION

**No. 434/RJ-LA/2018(1)-** in pursuance of the provision of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in the Notification No. 434/RJ-LA/2018(1) dated 13th September, 2018, as amended from time to time relating to the appointment of Returning Officer(s) for Assembly Constituency in the State of Rajasthan.

In Column 2 of the table appended to the said Notification for the existing entries in Column 2 against the Constituencies mentioned in column 1, the following entries shall be substituted:-

## TABLE

| No. & Name Assembly Constituency | Returning Officer |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 123-Lohawat | Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Lohawat |
| 129-Sursagar | Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Jodhpur (North) |

By Order,

**RAHUL SHARMA**
**PRINCIPAL SECRETARY**
**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।**